न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– अरविन्द कुमार जाखड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः अपील/34/2018 GCMS NO-2018/00020 दायर दिनांकः 04.05.2018
(कन्सोलिडेटेड प्रकरण संख्या 36/2018 GCMS NO-2018/00021 दायर दिनांकः 03.05.2018)

1. राजीव कुमार पुत्र खुशीराम जाति ब्राहमण निवासी छतरोली तहसील नूरपुर जिला कांगडा (हि.प्र.) हाल चक 15 के डी बी तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर
2. संदीप कुमार पुत्र खुशीराम जाति ब्राहमण निवासी छतरोली तहसील नूरपुर जिला कांगडा (हि.प्र.) हाल चक 15 के डी बी तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर

(अपीलांटस)

बनाम

1. राजेश कुमार पुत्र खुशीराम जाति ब्राहमण निवासी छतरोली तहसील नूरपुर जिला कांगडा (हि.प्र.) हाल चक 15 के डी बी तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये उप तहसीलदार (भू.अ.) रावला जिला श्रीगंगानगर

(रेस्पोडेंटस)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू.राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री तिलक राज चुघ, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री योगेन्द्र कुमार वकील रेस्पोडेंट संख्या 01

:: निर्णय :: दिनांकः– 17.02.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार (भू0अ0) रावला के प्रकरण संख्या 01/2017 अनवान राजीव कुमार बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 27.06.2017 के अनुसरण में दर्ज इंतकाल संख्या 86 दिनांक 13.07.2017 के विरूद्व पेश की गई है। उक्त निर्णय दिनांक 27.06.2017 के विरूद्व रेस्पोडेंट संख्या 01 राजेश कुमार द्वारा एक अन्य अपील संख्या 36/2018 अनवान राजेश कुमार बनाम राजीव कुमार आदि पेश की गई। उक्त अपील की आदेशिका दिनांक 02.09.2022 में उक्त अपील को हस्तगत अपील के साथ कन्सोलिडेट करने के आदेश पारित किये गये। उक्त आदेशों की पालना में उक्त अपील के अपीलांट राजेश कुमार (हस्तगत अपील में रेस्पोडेंट संख्या 01) के अधिवक्ता के वकातनामा की प्रति हस्तगत अपील में शामिल की गई इसलिए इस निर्णय में रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री योगेन्द्र कुमार को सयोंजित किया गया है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट ने जरिये अपील निवेदन किया है कि अपीलांटस व रेस्पोडेंट संखया 01 के पिता खुशीराम पुत्र श्री फकीरचन्द के नाम से जैर अपील भूमि वाके चक 15 के डी (बी) तहसील घडसाना का पत्थर संख्या 91/11 के किला नम्बर 1 ता 25 का 6.325 है कमाण्ड/अनकमाण्ड़ खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। अपीलांटस के पिता खुशीराम ने अपने जीवनकाल में जैर अपील खातेदारी भूमि की बहिस्सा बराबर एक वसीयत दिनांक 25.11.2013 बरोबरू गवाहान अपीलांटस व रेस्पोडेंट संख्या 01 के पक्ष में निष्पादित कर दी। खुशीराम ने अपनी उक्त वसीयत उप पंजीयक नूरपुर से पंजीकृत करवाई थी। उक्त वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने बाबत अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार (रावला) के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश किया। ... नियमानुसार सुनवाई करते हुए वसीयत के आधार पर इंतकाल करने के आदेश ... किये परन्तु रेस्पोडेंट संख्या 01 ने राजस्व कार्मिको से सांठ गांठ करके व साजिशाना ... से जैर अपील इंतकाल दर्ज करवाते हुए अपने 1/3 हिस्सा से अधिक यानि 3.795 है0 यानि 15 बीघा कृषि भूमि का इंतकाल अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.02.28 11:59:46 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

766

Scanned by CamScanner

नाम से दर्ज करवा लिया। अधीनस्थ न्यायालय का जैर अपील इंतकाल त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री तिलक राज चुघ हाजिर आये। रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री योगेन्द्र कुमार हाजिर आये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुने आदेश दिनांक 27.06.2017 पारित कर दिया तथा उक्त आदेश के अनुसरण में जैर अपील इंतकाल संख्या 86 दिनांक 13.07.2017 दर्ज कर दिया। जिसकी अपीलांट को पूर्व में जानकारी नहीं थी। अपीलांटस अपने अपने हिस्सा की भूमि पर ऋण लेने के उद्वेश्य से दिनांक 23.04.2018 को पटवारी हल्का के पास गये तब अपीलांट को जैर अपील इंतकाल की जानकारी हुई। उसी दिन अपीलांट ने प्रमाणित प्रति प्राप्त कर बिना किसी देरी के यह अपील पेश कर दी। अपील जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

5. वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 ने उक्त प्रार्थना पत्र का ना तो कोई जवाब पेश किया तथा ना ही दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्वीकार करने पर कोई आपत्ति जाहिर की। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाना प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अपीलांट ने देरी का जो कारण बताया है वह उचित व संतोषजनक प्रतीत होता है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। इसलिए हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

6. वकील अपीलांट ने दौराने बहस अपील मीमों के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांटस व रेस्पोडेंट संख्या 01 के पिता खुशीराम पुत्र श्री फकीरचन्द के नाम से जैर अपील भूमि वाके चक 15 के डी (बी) तहसील घडसाना का पत्थर संख्या 91/11 के किला नम्बर 1 ता 25 का 6.325 है कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। अपीलांटस के पिता खुशीराम ने अपने जीवनकाल में जैर अपील खातेदारी भूमि की बहिस्सा बराबर एक वसीयत दिनांक 25.11.2013 बरोबरू गवाहान अपीलांटस व रेस्पोडेंट संख्या 01 के पक्ष में निष्पादित कर दी। खुशीराम ने अपनी उक्त वसीयत उप पंजीयक नूरपुर से पंजीकृत करवाई थी। उक्त वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने बाबत अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार (रावला) के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर नियमानुसार सुनवाई करते हुए दिनांक 27.06.2017 को निर्णय पारित करते हुए वसीयत अनुसार नामांतरण करने के आदेश पटवारी हल्का 13 के डी (ए) को दे दिये। खुशीराम द्वारा सम्पादित वसीयत दिनांक 25.11.2013 में अपीलांटस व रेस्पोडेंट संख्या 01 को अपीलाधीन भूमि बराबर बराबर दी गई। उक्त भूमि का किसी प्रकार का खाता विभाजन नही हुआ था और ना ही उक्त भूमि की किलावार वसीयत की गई थी। परन्तु रेस्पोडेंट संख्या 01 ने राजस्व कार्मिको से सांठ गांठ करके व साजिशाना तरीके से चक 15 के डी (बी) तहसील घडसाना का पत्थर संख्या 91/11 के किला नम्बर 1 ता 5 के 1.215 है0 राजीव कुमार के [illegible] 1.265 है0 संदीप कुमार के नाम तथा किला न. 11 ता 25 की 3.795 है0 भूमि राजेश [illegible] जैर अपील इंतकाल दर्ज कर दिया। जेर अपील इंतकाल विधि [illegible] दर्ज किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर [illegible] न्यायालय का [illegible] संख्या 86 दिनांक 13.07.2017 निरस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.02.28 11:59:46 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
[illegible]

Scanned by CamScanner

7. रेसपोडेंट संख्या 01 ने दौराने बहस निवेदन किया कि अपीलांट व रेसपोडेंट संख्या के पिता खुशीराम द्वारा दिनांक 25.11.2013 को कोई वसीयत बरोबरू गवाहान नहीं करवाई गई जिसमें अपीलांटस व मुझ रेसपोडेंट संख्या 01 को जैर अपील भूमि बराबर बराबर दी हो। बल्कि खुशीराम द्वारा अपने पूर्ण होश हवास में व खुशी खुशी खुद बरोबरू गवाहान के दिनांक 09.06.2015 को अपीलाधीन कृषि भूमि चक 15 के डी (बी) का मुरब्बा न. 91/11 के 25.00 बीघा में से किला न. 1 ता 5 अपने लडके राजीव कुमार, किला न. 6 ता 10 अपने लडके संदीप कुमार तथा किला न. 11 ता 25 की वसीयत मुझ रेसपोडेंट के पक्ष में सम्पादित की थी। खुशीराम द्वारा दिनांक 09.06.2015 को निष्पादित की गई वसीयत अन्तिम व प्रभावी वसीयत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वसीयत को दरकिनार करते हुए दिनांक 25.11.2013 की वसीयत के आधार पर आदेश दिनांक 27.06.2017 पारित कर दिया। परन्तु पटवारी हल्का ने वसीयत दिनांक 25.11.2013 के आधार पर सही इंतकाल दर्ज किया है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 27.06.2013 को निरस्त करवाने बाबत मुझ रेसपोडेंट संख्या 01 द्वारा इसी न्यायालय में अपील संख्या 36/2018 अनवान राजेश कुमार बनाम राजीव कुमार वगैरह दायर की गई जो हस्तगत पत्रावली के साथ कन्सोलिडेंट है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे तथा मेरी अपील संख्या 36/2018 स्वीकार की जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर चिंतन मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया। जिससे पाया कि प्रकरण में खुशीराम द्वारा जैर अपील भूमि के संबंध में अपीलांटस एवं रेसपोडेंट संख्या 01 के पक्ष में समभाग वसीयत दिनांक 25.11.2013 को निष्पादित की गई थी। उक्त वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने बाबत राजीव कुमार आदि द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 01/2017 पर तहसीलदार रावला ने दिनांक 27.06.2017 को निर्णय पारित करते हुए वसीयत दिनांक 25.11.2013 अनुसार इंतकाल दर्ज करने के आदेश पटवारी हल्का 13 केडी (ए) को पत्रांक भू.अ./2017/268 दिनांक 10.07.2017 दे दिये। परन्तु पटवारी हल्का 13 केडी (ए) ने दिनांक 11.07.2017 को इंतकाल भरते समय खुशीराम की वसीयत दिनांक 25.11.2013 अनुसार अपीलांटस व रेसपोडेंट के नाम समभाग भूमि दर्ज ना करते हुए अपीलाधीन कृषि भूमि चक 15 के डी (बी) का मुरब्बा न. 91/11 के 25.00 बीघा में से किला न. 1 ता 5 की 1.215 है0 अ0क0 भूमि राजीव कुमार के नाम, किला न. 6 ता 10 की 1.265 है0 अ0क0 भूमि संदीप कुमार के नाम तथा किला न. 11 ता 25 की 3.795 है0 अ0क0भूमि राजेश कुमार के नाम दर्ज कर दिया जिसे ही तहसीलदार रावला द्वारा दिनांक 13.07.2017 को स्वीकृत कर दिया गया, जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

इस न्यायालय में जैरकार अन्य अपील संख्या 36/18 अनवान राजेश कुमार बनाम राजीव कुमार वगैरह जैरकार है। जिसमें अपीलांट ने निवेदन है कि अपीलांट व रेस्पोडेंटस के पिता खुशीराम द्वारा अपने पूर्ण होश हवास में व खुशी खुशी खुद बरोबरू गवाहान के दिनांक 09.06.2015 को अपीलाधीन कृषि भूमि चक 15 के डी (बी) का मुरब्बा न. 91/11 के 25.00 बीघा में से किला न. 1 ता 5 अपने लडके राजीव कुमार, किला न. 6 ता 10 अपने लडके संदीप कुमार तथा किला न. 11 ता 25 की वसीयत मुझ रेस्पोडेंट के पक्ष में सम्पादित की थी। खुशीराम द्वारा दिनांक 09.06.2015 को निष्पादित की गई वसीयत अन्तिम व प्रभावी वसीयत है। परन्तु तहसीलदार सूरतगढ़ ने उक्त वसीयत को दरकिनार कर खुशीराम द्वारा दिनांक 25.11.2013 को सम्पादित की गई वसीयत के आधार पर निर्णय दिनांक 27.06.2017 पारित किया है जिसे खारिज किया जावे।

हमने अपील संख्या 36/2018 अनवान [illegible] बनाम राजीव कुमार वगैरह में उपलब्ध न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.)घडसाना [illegible] संख्या 49/2016 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया। जिससे पाया कि राजेश कुमार [illegible] वसीयत दिनांक 09.06.2015 के आधार पर इंतकाल दर्ज करने बाबत तहसीलदार (भू.अ.) घडसाना के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसका तहसीलदार घडसाना द्वारा दिनांक 25.10.2017 को निर्णय पारित करते

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.02.28 11:59:46 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर

Scanned by CamScanner

हुए प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उक्त निर्णय दिनांक 25.10.2017 के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष निगरानी पेश की गई। माननीय मण्डल के निर्णय की पालना में तहसीलदार घडसाना द्वारा पत्रावली पुनः पत्रावली पेश ली गई। तत्पश्चात आदेशिका दिनांक 22.03.2018 उक्त पत्रावली तहसीलदार रावला को प्रेषित कर दी गई। तहसीलदार रावला द्वारा दिनांक 13.04.2018 को उक्त पत्रावली दर्ज कर पत्रावली में कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

प्रकरण में दिनांक 25.10.2017 तक इसी रकबा के संबंध में खुशीराम द्वारा सम्पादित वसीयत दिनांक 09.06.2015 के आधार पर इंतकाल दर्ज करने बाबत एक प्रार्थना पत्र न्यायालय तहसीलदार घडसाना के समक्ष जैरकार था। उक्त प्रार्थना पत्र के जैरकार रहते हुए ही तहसीलदार रावला द्वारा खुशीराम द्वारा सम्पादित वसीयत दिनांक 25.11.2013 के आधार पर निर्णय दिनांक 27.06.2017 पारित कर दिया, जो विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर इस न्यायालय की दोनों अपील यथा हस्तगत अपील संख्या 34/2018 अनवान राजीव कुमार वगैरह बनाम राजेश कुमार वगैरह तथा अपील संख्या 36/2018 अनवान राजेश कुमार वगैरह बनाम राजीव कुमार वगैरह स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रावला का आदेश दिनांक 27.06.2017 तथा इसकी पालना में दर्ज इंतकाल संख्या 86 दिनांक 13.7.2017 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आश्य के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में खुशीराम द्वारा सम्पादित वसीयत की सत्यता की जांच कर तथा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 7.3.2023 को पेश हो। चूंकि आदेश दिनांक 02.09.2022 द्वारा प्रकरण संख्या 36/2018 अनवान राजेश कुमार वगैरह को हस्तगत पत्रावली के साथ कन्सोलिडेट कर कार्यवाही बन्द की चुकी है, अतः इस निर्णय की प्रति प्रकरण संख्या 36/2018 में भी शामिल किये जाने के आदेश दिये जाते है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) रावला को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस लौटाया जावे। पत्रावली बाद तकमील तरतीब नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

निर्णय आज दिनांक 17.2.2023 को मेरे द्वारा टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.02.28 11:59:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner